

दूरभाष सं० :06252-242700 [O]
06252-242800 [R] 242900 [F]
E-mail : dm-motihari.bih@nic.in

समाहरणालय,पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी
(जिला विधि प्रशाखा)

अभियोजन स्वीकृत्यादेश:-

रक्सौल थाना काण्ड सं०-186/2019, दिनांक-04.06.2019, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त (1) शत्रुधन साह, (2) सतन कुमार दोनों पिता-प्रभु साह, (3) चंदन साह, पिता-छोटेराल साह, तीनों साकिन-धुपवा टोला, थाना-रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 588/सी०आर०(विधि) दिनांक 22.02.2020 से प्राप्त प्रस्ताव तथा उसके साथ संलग्न पु०अ०नि०, रक्सौल थाना के प्रतिवेदन दिनांक 21.02.2020 एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल के पर्यवेक्षण टिप्पणी ज्ञापांक-1259 दिनांक 22.07.2019 का अवलोकन किया। पुलिस प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ति सूची के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः मैं **शीर्षत कपिल अशोक, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण** शस्त्र अधिनियम की धारा-39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय के मुहर के साथ जारी किया गया है।

ETD

(शीर्षत कपिल अशोक)
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञापांक:- / विधि, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/थानाध्यक्ष, रक्सौल थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ETD


(शीर्षत कपिल अशोक)
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञापांक:- 642/विधि, दिनांक:- 13.03.2020

प्रतिलिपि:-जिला अभियोजन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पूर्वी चम्पारण को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।




29/3/2020

(शीर्षत कपिल अशोक)
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।